यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

ीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
व प्रार्थना पत्र संख्या : 03/2022
IS NO. : 2022/5

-: प्रार्थी :-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
हनुमानलाल पुत्र हापूराम जाति सुथार निवासी खेड़ा रामगढ, तहसील जैतारण।		1. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील जैतारण जिला पाली। 2. अरविन्द कुमार पुत्र शेषाराम जाति मेघवाल निवासी कुशालपुरा, तहसील रायपुर जिला पाली। 3. पदमाराम पुत्र सावतराम जाति मेघवाल निवासी खेड़ा रामगढ तहसील जैतारण जिला पाली।

स्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 56

तारीख रजूः. 11/01/2022

स्थितः- 1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 30/06/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 जस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश या है कि प्रार्थी हनुमानलाल की खातेदारी व कब्जाशुदा हक व अधिकार की कृषि भूमि जस्व मौजा खेड़ा रामगढ पटवार हल्का सांगावास भू.अ.नि.क्षैत्र आगेवा तहसील जैतारण खसरा संख्या 1454 रकबा 0.6232 हैक्टर यानि 3-17 बीघा कृषि भूमि आई हुई । नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी हनुमानलाल की इस ातेदारी व हक अधिकार की भूमि खसरा संख्या 1454 सरहद मौजा खेड़ा रामगढ के ड़ौस में खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1455/1 सरहद मौजा खेड़ा रामगढ तहसील तारण भूमि आई हुई है। प्रार्थी हनुमानलाल की तथा अप्रार्थीगण 2 व 3 की भूमि ..के पर अलग अलग स्थित है तथा राजस्व रेकर्ड में भी भूमि का अलग से तरमीम शुदा है। लेकिन प्रार्थी हनुमानलाल सुथार तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 के मध्य आये दिन जमीन की सीमा व नाप चौप को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। पूर्व में भी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 कई बार प्रार्थी हनुमानलाल से खसरा संख्या 1454 व खसरा संख्या 1455/1 की सीमा माठ को लेकर लड़ाई झगडे किए तथा खसरा संख्या 1455/1 सरहद मौजा खेड़ा रामगढ के खातेदार अप्रार्थीगण 2 व 3 दिनांक 15.12. 2021 को अप्रार्थीगण 2 व 3 ने मिलकर प्रार्थी से खेत की माठ को लेकर लड़ाई झगड़ा किया। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1454 का कुद भाग अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने खसरा संख्या 1455 में खातेदारी से अपने में शामिल कर लिया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपनी खातेदारी भूमि में मकान बनाकर मकान का स ारा गंदा पानी प्रार्थी हनुमानलाल की खातेदारी भूमि में छोड़ रहा है, जिससे प्रार्थी की भूमि खराब हो रही है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने मकान का बिजली कनेक्शन भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से होकर लिया है, जिससे प्रार्थी को हमेशा बिजली के करंट का खतरा बना रहता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

मकान के छज्जे भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में निकाल दिए है। अप्रार्थीगण
2 व 3 हमेशा प्रार्थी को अनुसूचित जाति के मुकदमें में फंसाने की धमकी देता
है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 संख्या एवं शक्ति में ज्यादा है तथा आये दिन माठ
लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रार्थी हनुमानलाल के खसरा संख्या 1454 की भूमि
सीमाज्ञान करवाने हेतू प्रार्थी हनुमानलाल कई बार तहसीलदार जैतारण के समक्ष
स्थित होकर अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मौके पर पत्थरगढी व
तारबंदी हेतू प्रार्थना पत्र लेकिन तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थी को कहा गया कि
खण्ड अधिकारी जैतारण से आदेश करवाकर लाओ तो ही आपकी कृषि भूमि का
सीमाज्ञान होगा, नही हो नही होगा। पूर्व से मौके पर स्थापित सीमा चिह्नो को भी
अप्रार्थीगण 2 व 3 ने खुर्द बुर्द कर दिया है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी खोतदारी भूमि पर
पत्थर खड़े कर की जा रही तारबंदी को भी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने रूकवा दिया
जिस पर प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण 2 व 3 से निवेदन किया कि वह इस सीमा
विवाद एवं नाप चौप को लेकर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई सीमा विवाद नही
एवं आपसी सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नाप चौप करवाकर माफिक नाप के मौके
आपसी सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नाप चौप करवाकर माफिक नाप के मौके पर
आपसी सहमति से ही पत्थरगढी कर लेवे, परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ऐसा करने
नही मान रहे है एवं दिनांक 15.12.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने मौके
पर नाप करने एवं माफिक नाप के पत्थरगढी करने से स्पष्ट मना कर दिया। ऐसी
परिस्थितियो में अदालत श्रीमानजी के समक्ष यह कार्यवाही पेश करने के अलावा अन्य
कोई विकल्प शेष नही रह जाने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के
सादर पेश है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की उक्त भूमि अदालत हाजा के
श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में ही स्थित है तथा नियमानुसार न्याय शुल्क भी इस प्रार्थना
पत्र के साथ सादर पेश किया जा रहा है, अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा मौके पर
आपसी सहमति से नाप चौप करने से दिनांक 15.12.2021 को स्पष्ट रूप से इंकार
कर देने पर यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये
नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2 को बार बार आवाजें दिलाई गई,
बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
की गई। अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ
जो सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 3 ने जवाब पेश कर कथन किया किया कि
खसरा संख्या 1455/1 की कृषि भूमि सरहद मौजा खेड़ा रामगढ तहसील जैतारण में
आई हुई होने का कथन सही है। इसमें वर्णित भूमि मौके पर अलग अलग स्थित है
तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीमशुदा है। अप्रार्थी संख्या 2 की प्रार्थी से खसरा संख्या
1454 व 1455/1 की सीमा मार्ग को लेकर विवाद होने का कथन गलत होने
से अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1454 का कुछ भाग
अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा खसरा संख्या 1455/1 में दादागिरी से अपने में
शामिल कर लिया का कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने
अपनी खातेदारी भूमि में मकान बनाकर सारा गंदा पानी प्रार्थी की भूमि में छोड़ रखा
है, का कथन गलत होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने मकान
में बिजली का कनेक्शन भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से लिया गया है, का कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने मकान के छज्जे भी की भूमि में निकालने का कथन भी गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 3 हमेशा प्रार्थी को अनुसूचित जाति के मुकदमें में फंसाने का कथन भी गलत से अस्वीकार है। खसरा संख्या 1454 की माठ को तोड़कर अपने खसरा संख्या 55/1 में मिलाने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 3 ने रा संख्या 1455 की 5-07 बीघा जमीन का अपने स्वर्गीय भाई मल्लाराम के साथ कर दिनांक 15.11.1998 को जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीद की गई। खरीद के य अप्रार्थीगण संख्या 3 व उनके स्वर्गीय भाई मल्लाराम को बैचान कर्ताओ ने कब्जा र्द किया था। बैचानकर्ताओ ने 05-07 बीघा जमीन का अप्रार्थीगण को जो कब्जा र्द किया गया उसी अनुसार अप्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। ानकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.1988 को अप्रार्थीगण संख्या 3 व उनके भाई स्वर्गीय ल्लाराम को सुपुर्द की गई जमीन के पड़ौस इस प्रकार है- पूर्व में - हनुमानराम ार (प्रार्थी) का खेत। पश्चिम में- जैतरण से कुशालपुरा जाने वाली सड़क। उत्तर में- माज से चावण्डिया जाने का रास्ता। दक्षिण में- खेड़ा रामगढ की सरहद जिस पर प्रार्थी बिना किसी रोकटोक से शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र वर्णित अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 1455 की कृषि भूमि अन्य खातेदार सरोज पुत्री मल्लाराम, तुलसीदेवी पत्नी मल्लाराम, प्रभुराम पुत्र ल्लाराम, डूंगरराम पुत्र मल्लाराम, राकेश पुत्र मल्लाराम, आनन्दीलाल पुत्र मल्लाराम, ाराचंद पुत्र मल्लाराम, महेन्द्र कुमार पुत्र मल्लाराम को उपरोक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही बनाया गया है, जो सभी प्रभावित पक्षकार है। जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र चलने ोग्य नही है। खसरा संख्या 1455/1 के पूर्व दिशा में स्थित माठ के पास अप्रार्थीगण ंख्या 3 ने अपने निवास के लिए मकान बना रखा है। अप्रार्थीगण संख्या 3 द्वारा निर्मित मकान के छज्जे अप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में निकले हुए है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा निर्मित मकान व अप्रार्थी के खातेदारी कब्जेकाश्त की जमीन में खरीद के समय से पूर्व कायम की हुई माठ के बीच चार फीट की जगह अप्रार्थी ने अपनी सुविधा के लिए छोड़ रखी है जिसे प्रार्थी अपने कब्जे में करना चाहता । अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा निर्मित मकान के समय प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया था। अब जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 3 को तंग व परेशान करने के लिए यह आधारहीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। धारा 111 सहपठित धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में यह प्रावधान है कि सीमाज्ञान का आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब किया जाना कानूनन आवश्यक होता है, जिसके आधार पर सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्र का निर्धारण किया जा सकता है, इसलिए तहसील जैतारण से खसरा संख्या 1455/1 व 1454 की सीमा संबंधी विवाद की रिपोर्ट मंगवाया जाने का आदेश किया जावे। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से मय हर्जे खर्चे खारिज फरमावें।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए- 1. आरआरटी 2015(1) पेज संख्या 609 कैलाशचंद बनाम बजरंग व अन्य 2. आरआरटी 2017 (2) पेज संख्या 1084 राजेन्द्रसिंह व अन्य बनाम सतवीरसिंह व अन्य।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

हमने उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन अवलोकन करते हुए ण के सम्यक न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन निर्णयन निम्नानुसार हैः-

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 स्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेड़ा गढ पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि रा नम्बर 1454 रकबा 0.6232 हैक्टेयर यानि 03-17 बीघा स्थित है, जिस पर ं काबिज काश्त है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1454 के पड़ौस में रा संख्या 1455/1 में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि स्थित है, जो ॉर्ड में पृथक पृथक तरमीमशुदा है तथा मौके पर अलग अलग स्थित है। लेकिन ार्थीगण प्रार्थी के साथ जमीन की सीमा एवं नाप चौप को लेकर लड़ाई झगड़ा करते अप्रार्थीगण सीमांकन के लिए तैयार नही अतः खसरा संख्या 1454 एवं 1455/1 भू अभिलेख अनुसार मौके पर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी एवं नेखमबंदी का देश प्रदान करे।

अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र खण्डन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 3 खसरा संख्या 1455 की 07 बीघा भूमि अपने स्वर्गीय भाई मल्लाराम के साथ मिलकर दिनांक 15.11.1988 जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज के क्रय की गई थी। तथा मुताबिक बैचान पत्र जवाबदेहन्दा मे पर काबिज है। खसरा संख्या 1455 की कृषि भूमि के अन्य खातेदार है जिन्हे र्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः र्थना पत्र पोषणीय नही होने से काबिल खारिज है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं खसरा नक्शा के अनुसार खसरा ख्या 1454 रकबा 0.6252 हैक्टर बारानी अव्वल भूमि में प्रार्थी हनुमानलाल पुत्र ुराम तथा खसरा संख्या 1455/1 में अप्रार्थी अरविंद कुमार पुत्र शेषाराम तथा माराम पुत्र सावतराम बतौर खातेदार दर्ज है तथा दोनो खसरान् की भूमियां भू नक्शा पृथक पृथक तरमीमशुदा है तथा दोनो खसरान् की भूमि की सीमा परस्पर मिलती है। सरा संख्या 1455 व 1455/1 की भूमियां पृथक पृथक खाते दर्ज है। तथा पृथक क तरमीमशुदा है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1455 के खातेदारान से कोई अनुतोष ी चाहा है अतः अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारान् को प्रकरण में पक्षकार नही बनाने त् की गई आपत्ति अप्रासंगिक एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है। उभयपक्ष के य आराजीयात् की वास्तविक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति में ऐसे विवादो का माधान सीमाज्ञान एवं सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न रोपित करवाकर ही करवाया जा कता है। चूंकि उपर्युक्त खसरान् की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है। खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की स्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादो का माधान मोके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित रवाते हुए करवाया जा सकता है ताकि अनावश्यक विवाद एवं िलता उत्पन्न न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए र्थी की आराजी खसरा संख्या 1454 एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजी खसरा ख्या 1455/1 की आराजी का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

हित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर चौप करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी के पर प्रार्थी की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत चित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं ान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं ग्राम- खेडा रामगढ पटवार हल्का सांगावास तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित ि की आराजी खसरा नम्बर 1454 रकबा 0.6252 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1455/1 रकबा 0.4290 हैक्टेयर किस्म नी अव्वल के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 1 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शे मौके ज्ञाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे खर्चे से न खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभय ाकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। सीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर ख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
भू–अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

र्णय आज दिनॉक 30/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
भू–अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:30 IST
Reason: SelfAttested